तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही …	दावा / दायरा दिन…
14-9-21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप० वास्ते राजीनामा तस्दीक हेतु दिनांक 15-9-21 को पेश हो। ह०	
15-9-21	पत्रावली पेश हुई ~~अभिभाषक उभय पक्ष अनुपस्थित~~ हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 21-9-21 को पेश हों। ह०	
21-9-21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी व वादी स्वयं उपस्थित। प्रतिवादीगण सं. 1,2 व 4 उपस्थित प्रतिवादी सं. 1,2,4 की ओर से श्री अब्दुल सत्तार एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 3 पानाबाई द्वारा की गई रिलीजडीड की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी की तस्दीक वादी के अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की तस्दीक प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा की गई। वाद-पत्र प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिख कर शामिल पत्रावली किया गया राजीनामा अनुसार डिक्री आज्ञप्ति जारी की गई राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। ह० उपखण्ड अधिकारी	वादी रामप्रसाद [illegible] हैं नि० रामप्रसाद [illegible] वकील वादी [illegible] प्रतिवादी 1,2,4 [illegible] रामप्रसाद तुलसाबाई [illegible] (अ० सत्तार (एड)) [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:36:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

4/दावा/2018
दायरा दिनांक 10.01.2017

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा (RAS)

1. रामस्वरूप पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—वादी

बनाम

1 देवीशंकर पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान।
2. रामप्रसाद्र पुत्र किशनलाल जाति मीना निवास माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. गानाबाई बैवा किशनलाल जाति मीना निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
4. तुलसाबाई पुत्री किशनलाल पत्नि कैलाश जाति मीना निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
5. उप पजींयक अधिकारी , उप पजींयक कार्यालय इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
6. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
7. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बून्दी तहसील व जिला बून्दी राज0।
8. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा लाखेरी द्वारा शाखा प्रबंधक तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
9 चम्बल औवर ब्रिज कम्पनी प्रोपराईटर शिवा साहब विजय एम मिस्त्री कंक्शटक्शन ब्रांच माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 53, 188 आर0टी0ए0 एक्ट।

उपस्थित :— एडवोकेट बालकिशन रायका वादी की ओर से।
एडवोकेट अब्दुल [illegible] की ओर से।
एडवोकेट राजेन्द्र कुमार जैन प्रति[illegible]9 की ओर सें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:36:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

निर्णय   दिनांक 21-9-21

वादी द्वारा वाद पत्र इस प्रकार पेश किया कि ग्राम ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 स्थित कृषि भूमि ख0न0 498 रकबा 0.57 है0 , ख0न0 508 रकबा 1.65 है0 , ख0 न0 801/1065/1 रकबा 0.18 है0, ख0न0 990/1 रकबा 0.05 है0 ख0न0 991 रकबा 0.75 है0 ख0न0 992 र0 1.04 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.24 है0 है जो विरासत नामान्तकरण संख्या 467 दिनांक 05.08. 2016 से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज है।उक्त आराजी पुश्तेनी कृषि भूमि है जिसके पूर्व खातेदार किशनलाल पुत्र नंगा कोम मीना सा.देह खातेदार थें जिनका स्वर्गवास दिनांक 16.05.2016 हो गया था। लेकिन पूर्व खातेदार किशनलाल पुत्र नंगा की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 6 एवं उनके अधिनिस्थ कर्मचारियों व अधिकारीयों के द्वारा विधि विधान को नजर अन्दाज करते हुये ,फोती नामान्तरण से किशनलाल पुत्र नंगा के पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 बेवा व प्रतिवादी संख्या 4 पुत्री के नाम खोल कर तस्दीक कर दिया गया है और उक्त नामान्तरण के माध्याम से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का नाम गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा अमल कर दिया था।जबकि पक्षकारान की जाति मीना है जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य है इसलिए हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सदस्य पुरानी हिन्दू विधि मिताक्षरा कानून से शासित होते है इसलिए केवल पुरूषों को सुयंक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित– सादोयगी सम्पति में अधिकार कानूनन बनता है महिलाओं को कोपार्सनरी का सदस्य नही होने से प्रतिवादी संख्या 3 एवं 4 का महिला होने के कारण कानूनन उक्त आराजी में उसका कोई हक व अधिकार निहित नही है वह केवल अपने जीवनकाल में भरण पोषण की अधिकारीणी है।

प्रतिवादी संख्या 3 व 4 उक्त गलत अंकन का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 से मिलिभगत करके वादी को उसके हक अधिकार से वंचित करना चाहते है इस इरादे से उन्होने प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से में दर्ज 1/5 आराजी को जरिये पजींकृत रिलिज डीड प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित करवा दी।उक्त पजींकृत रिलिज डीड के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 वादी को उसके कानूनन हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है।इसी आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ने संदर्भित विवादित आराजी में सं 6 बीघा भूमि को प्रतिवादी संख्या 9 को सहशुल्क किराये पर दे दी है।इसलिए राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाम विलोपित कर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 को 1/3 हिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किये जाने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेघाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया तदुपरान्त वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा राजीनामा पेश किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में की गई पजींकृत रिलिज डीड व राजीनामे के आधार पर रामस्वरूप बनाम पाना देवी वगैरह दीवानी वाद संख्या 1/2017 में राजीनामे के आधार पर दिनांक 23.02.2021 को किये गये निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:36:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

पत्रावली में संलग्न राजीनामा उभयपक्षकारान को पढकर सुनाया व समझाया गया राजीनामा स्वैच्छिक होना पाया गया प्रकरण में तथ्य एवं परिस्थितियो को देखते हुये पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामे के आधार पर ग्राम माखीदा के वादाधीन आराजी में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के खातेदारी अधिकार विलोपित किये जाते है एव वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 प्रत्येक को उक्त आराजी में 1/3 ,हिस्से का राजीनामे में अंकित खसरेवार पृथक पृथक हिस्सें का खातेदार घोषित किया जाता है राजीनामा फैसले का अभिन्न अंग होगा।राजीनामें अनुसार डिक्री जारी हों।तहसीलदार इन्द्रगढ को राजीनामे अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी की जावें पत्रावली दफतर दाखिल हों दर्ज नम्बर से कम हों।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:36:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

50+50 रुपये के कोर्ट फीस स्टाम्प लगाया

6D डिग़री ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास श्री युगान्तर शर्मा R.A.S.

1 रामस्वरूप पुत्र किशनलाल बनाम 1 देवीशंकर पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी जाति मीणा निवासी ग्राम माखिदा तहसील इन्द्रगढ़ बूंदी व दीगर माखिदा तहसील इन्द्रगढ़ बूंदी

-वादी- प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर 4/2017/17 दावा बाबत 88, 89, 53, 188 RTA सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे श्री बालकिशन रायका एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री अब्दुल सत्तार एड. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी ज़ाती है कि वादी का वाद प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के खातेदारी अधिकार निरोपित किये जाते हैं। एव वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को उक्त आराजी में 1/3 हिस्से का राजीनामा अनुसार खसरेवार पृथक-पृथक खातेदार घोषित किया जाता है। राजीनामानुसार ख.नं. 498 रकबा 0.57 है. ख.नं. 508 रकबा 1.65 हैक्टर में से 0.84 हैक्टर पूर्वी ओर कुल किता-2 योग रकबा 1.41 हैक्टर वादी के हिस्से में रहेगा। तथा ख.नं. 991 रकबा 0.75 हैक्टर ख.नं. 992 रकबा 1.04 हैक्टर में से रकबा 0.66 हैक्टर पूर्वी ओर कुल किता-2 PTO-2

निज मुबलिग बाबत खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21-9-2021 माह सन को जारी की गई।

मुहर दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॅन		
5. खर्चा गवाहॅन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकन का चाहे ड़िग्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:36:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

2. रामप्रसाद पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी माखिदा तह०
3 दानाबाई बेवा किशनलाल जाति मीणा निवासी माखिदा — "
4. तुलसाबाई पुत्री किशनलाल जाति मीणा निवासी माखिदा — "
5. उपपंजीयक इन्द्रगढ़ जिला-बून्दी
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला-बून्दी ·
7. जिला कलक्टर बून्दी
8. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा लाखेरी ·
9. चम्बल ओवर ब्रिज कम्पनी प्रोपराईटर रशीद साहब माखिदा ·

— प्रतिपक्षीगण···

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:36:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner